राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

वर्ष 2 अंक 340

मूल्य ₹6.00, नई दिल्ली, शनिवार, 18 मई 2019

www.jagran.com

पृष्ठ 14

महासमर 2019

- पश्चिम बंगाल में इस बार मुद्दा बन गए ईश्वरचंद विद्यासागर • पेज 4
- इस बार अलग-अलग वोट देंगी सिर से जुड़ी सबा-फराह • पेज 5
- राजनाथ सिंह ने कहा, मानसिक संतुलन खो बैठा है विपक्ष • पेज 6
- प्रचार में कटौती से पश्चिम बंगाल में 16 आयोजन ठप • पेज 6

विश्वास.News

पीएम मोदी को लेकर अभिनंदन का बयान फर्जी ?

विश्वास न्यूज की पड़ताल • पेज 6

न्यूज गैलरी

राज-नीति ▸ पृष्ठ 3

कोचर दंपती से ईडी ने लगातार पांचवें दिन की पूछताछ

नई दिल्ली : आइसीआइसीआइ बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर अपने पति दीपक कोचर के साथ शुक्रवार को लगातार पांचवें दिन प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पेश हुईं। दोनों सुबह 11 बजे नए दस्तावेज के साथ ईडी के खान मार्केट स्थित दफ्तर पहुंचे। कोचर दंपती से 1875 करोड़ के वीडियोकॉन कर्ज मामले में पूछताछ की जा रही है।

नेशनल न्यूज ▸ पृष्ठ 7

घाटी को दहलाने के लिए नेपाल के रास्ते घुसे चार आतंकी

श्रीनगर : पुलवामा हमले के बाद दकश्मीर में प्रमुख कमांडरों के मारे जाने से आतंकी सरगना हताश हैं। ऐसे में आतंकी कैडर को संभालने के लिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने फिर से घाटी को दहलाने की साजिश रची है। नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए सीमा पार से नेपाल के रास्ते चार खूंखार आतंकियों को कश्मीर भेजा गया है।

बिजनेस ▸ पृष्ठ 11

अनुकूल नतीजे की आस में सेंसेक्स 537 अंक उछला

मुंबई : आम चुनाव के नतीजे कारोबारियों के लिए अनुकूल रहने की उम्मीद में देश के शेयर बाजारों में शुक्रवार को भारी उछाल दर्ज किया गया। इस दौरान बीएसई का सेंसेक्स 537.29 अंकों की तेजी के साथ 37,930.77 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 150.05 अंकों की तेजी के साथ 11,407.15 पर बंद हुआ।

अंतरराष्ट्रीय ▸ पृष्ठ 13

एफएटीएफ ने पाक से पूछा आतंकियों पर क्या कार्रवाई की

इस्लामाबाद : एफएटीएफ ने पाकिस्तान से आतंकी संगठनों के अर्थतंत्र पर कार्रवाई के बारे में सीधे सवाल किए हैं। वित्त सचिव मुहम्मद यूनुस डाघा के नेतृत्व में चीन पहुंचे अफसरों ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) के समक्ष आतंकी संगठनों के खिलाफ अभी तक की गई कार्रवाई का लेखा-जोखा पेश किया।

आजकल ▸ पृष्ठ 14

ईस्ट तिमोर बनेगा पहला प्लास्टिक कचरा मुक्त देश

कुआलालंपुर : दक्षिण पूर्वी एशियाई देश ईस्ट तिमोर दुनिया का पहला प्लास्टिक कचरा मुक्त देश बनने की राह पर है। वह देश में निकलने वाले सारे प्लास्टिक कचरे को रिसाइकल करेगा। उसने रिसाइकलिंग संयंत्र लगाने के लिए ऑस्ट्रेलियाई शोधकर्ताओं से हाथ मिलाया है।

फिर बनेगी बहुमत की सरकार : मोदी

भरोसा ▸ अमित शाह की प्रेस कांफ्रेंस में अचानक पहुंचे पीएम, नहीं दिए सवालों के जवाब

बोले, चुनाव अभियान के जरिये जनता से लेना था आगे की यात्रा के लिए आशीर्वाद

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

नई दिल्ली में शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यकाल में पहली बार प्रेसवार्ता में शामिल हुए। इस मौके पर सवालों के जवाब भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने दिए। ध्रुव कुमार

डेढ़ महीने में 142 चुनावी रैलियों और दर्जनभर अन्य कार्यक्रमों को संबोधित कर प्रधानमंत्री दिल्ली पहुंचे तो विश्वास से लबरेज। सीधे भाजपा कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में पहुंचकर तो चौंकाया ही, यह दावा भी कर दिया कि भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार फिर से चुनकर आ रही है। मोदी ने कहा, 'यह पहली बार होने जा रहा है कि एक पूर्ण बहुमत की सरकार दोबारा पूर्ण बहुमत से आने वाली है। इससे पहले यह या तो परिस्थितिजन्य कारणों से होता रहा या फिर परिवार के कारण।' उन्होंने कहा कि उनके लिए चुनाव अभियान का मकसद आगे की यात्रा के लिए लोगों का आशीर्वाद लेना था।

शुक्रवार शाम भाजपा अध्यक्ष अमित शाह की प्रेसवार्ता पहले से तय थी, लेकिन आश्चर्य तब हुआ जब शाह के साथ-साथ मोदी भी पहुंच गए। वह पहली बार सामूहिक रूप से मीडिया से रूबरू हुए थे, वह भी पार्टी कार्यालय में। करीब पौन घंटे की वार्ता में सवालों के जवाब सीधे अमित शाह ने दिए। पीएम ने सवालों के जवाब देने से इन्कार करते हुए कहा, 'यह प्रेस कांफ्रेंस भाजपा अध्यक्ष अमित शाह की है। हम पार्टी के अनुशासित सिपाही हैं। हमारे लिए पार्टी अध्यक्ष ही सब कुछ हैं।' हालांकि पीएम प्रेस कांफ्रेंस में न सिर्फ पूरे समय बैठे रहे बल्कि अपनी बात भी रखी। पुरानी सरकारों पर तंज किया, खुद की सरकार व संगठन पर विश्वास भी जताया। राजनीतिक कार्यप्रणाली की विशेषता भी बताई। मोदी ने कहा, 'मेरे लिए चुनाव अभियान एक तरह से धन्यवाद अभियान था। मैंने कहा कि जिस यात्रा को शुरू किया है उसे आगे बढ़ाने के लिए आशीर्वाद चाहिए और जनता के दिल में भी यह भाव दिखा। सरकार फिर से आ रही है और बहुमत से।' उन्होंने आगे कहा कि अब चुनाव अभियान खत्म हो गया है, कल से फिर से सरकारी कामकाज में लगना है।

आइपीएल भी हुई और चुनाव भी : उन्होंने पूर्ववर्ती संप्रग सरकार पर तंज किया और कहा, दो चुनाव तो ऐसे हुए जिसके कारण आइपीएल को बाहर जाना पड़ा था, लेकिन जब सरकार सक्षम होती है तो चुनाव भी होते हैं, रमजान भी चलता है, ईस्टर और आइपीएल होता है, बोर्ड परीक्षाएं भी चलती हैं।

आज के ही दिन हुई थी ईमानदारी की शुरुआत : अभी चुनाव नतीजों को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। ऐसे में मोदी ने याद दिलाया कि 2014 में 16 मई को रिजल्ट आया था और उसके एक दिन बाद 17 मई (आज ही के दिन) को बड़ी घटना हुई थी, 17 मई को देश में सट्टेबाजों को नुकसान हुआ था। उसी दिन ईमानदारी की शुरुआत हो गई थी।

भाजपा का चुनाव अभियान बेहद व्यापक : भाजपा का चुनावी अभियान बेहद व्यापक रहा है। मोदी ने इसकी ओर इशारा करते हुए कहा कि यह शोध का विषय है कि संगठन के साथ कैसे चुनाव लड़ा जाता है। उनकी पहली सभा मेरठ में हुई थी और आखिरी मध्य प्रदेश के खरगौन में, लेकिन दोनों स्थानों में एक जुड़ाव है। मेरठ में 1857 की क्रांति हुई थी और खरगौन के भीमा नायक 1857 की क्रांति के नायक थे जिन्हें फांसी हुई थी। यानी हमारी योजना बहुत सधी हुई होती है।

(पेज-3, 5 भी देखें)

थमा चुनाव प्रचार, अब जनता के हाथ नई सरकार

नई दिल्ली : लोकसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण का प्रचार अभियान शुक्रवार शाम छह बजे थम गया। अंतिम चरण का मतदान 19 मई (रविवार) को होगा। 23 मई को मतगणना के साथ ही पता चलेगा कि जनता ने किसके सिर पर ताज सजाया है। इस चरण में प्रधानमंत्री मोदी की वाराणसी सहित आठ राज्यों की 59 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। (पेज-5)

पीएम ने कहा, माफी मांगने के बाद भी प्रज्ञा को नहीं कर पाऊंगा दिल से माफ

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : भोपाल से भाजपा प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को देशभक्त करार देने के बाद विवाद से बचने के लिए माफी तो मांग ली, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई तय मानी जा रही है। वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो यहां तक कह दिया कि वो साध्वी के माफी मांगने के बावजूद उनको कभी दिल से माफ नहीं कर पाएंगे।

प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को एक साक्षात्कार में कहा, 'गांधीजी और गोडसे के संबंध में जो भी बयान दिए गए, ये बहुत खराब हैं, घृणा और आलोचना के लायक हैं, सभ्य समाज में ये सोच नहीं चल सकती। ऐसी बातें करने वालों को आगे सौ बार सोचना चाहिए।' प्रधानमंत्री ने कहा कि 'उन्होंने माफी मांग ली है, ये अलग बात है, लेकिन मैं मन से माफ नहीं कर पाऊंगा।' पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने साध्वी के बयान को पार्टी की विचारधारा के अनुकूल न मानते हुए मामले को पार्टी की अनुशासन समिति को भेज दिया है। शाह ने कहा, साध्वी के विवादित बयान पर अनुशासनात्मक समिति फैसला लेगी। शाह ने कहा, 'विगत 2 दिनों में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और जो दो अन्य नेताओं- सांसद अनंत हेगड़े और नलिन कुमार कतील के बयान आए हैं, वे उनके निजी बयान हैं। उन बयानों से भाजपा का कोई संबंध नहीं है। इन लोगों ने अपने बयान वापस लिए है और माफी भी मांगी है। फिर भी सार्वजनिक जीवन और भाजपा की गरिमा और विचारधारा के विपरीत इन बयानों को पार्टी ने गंभीरता से लिया है। तीनों बयानों को अनुशासन कमेटी को भेजने का निर्णय किया गया है। कमेटी तीनों नेताओं से जवाब मांगकर पार्टी को 10 दिन में रिपोर्ट देगी।'

विपक्ष को शाह का जवाब पेज>>5

क्षेत्रीय दल नहीं देंगे मोदी को समर्थन : राहुल

- चुनाव बाद माया, ममता, मुलायम, नायडू के साथ मिलकर नई सरकार बनाने के इरादों के दिए संकेत
- चुनाव आयोग रहा पक्षपाती, जनता के मुद्दे पर कांग्रेस-विपक्ष ने पीएम को रोका

नई दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में प्रेसवार्ता करते राहुल गांधी। साथ में रणदीप सिंह सुरजेवाला।

संजय मिश्र, नई दिल्ली

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि सपा-बसपा ही नहीं तमाम क्षेत्रीय पार्टियां भी नरेंद्र मोदी और भाजपा का समर्थन नहीं करेंगी। कांग्रेस अध्यक्ष ने चुनाव बाद भाजपा से वैचारिक दूरी रखने वाले दलों के साथ आने का संकेत देते हुए सभी विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर नई सरकार बनाने के इरादे भी जाहिर कर दिए। लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिथ को ध्वस्त करने की बात कहते हुए राहुल ने कहा, रणनीतिक तरीके से कांग्रेस ने उनके 90 फीसद रास्ते बंद कर दिए जबकि पीएम ने बाकी 10 फीसद की गुंजाइश खुद ही बंद कर ली। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस ने जनता के साथ मिलकर भाजपा और मोदी को रोका है।

लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण का प्रचार खत्म होने से कुछ मिनट पहले अपनी प्रेस कांफ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने यह बात कही। पीएम मोदी की राह रोकने के लिए प्रधानमंत्री पद की दावेदारी पर लचीला रुख अपनाने से लेकर सीटों की संख्या से जुड़े पत्रकारों के सवाल पर उन्होंने कहा, वह 23 मई को जनता का फैसला आने तक इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। मगर जहां तक उनका मानना है कि मायावती, मुलायम सिंह यादव और चंद्रबाबू नायडू भाजपा और नरेंद्र मोदी का समर्थन नहीं करेंगे। मोदी की अबकी बार तीन सौ के पार के दावे पर राहुल ने कहा, वे जनता का फैसला आने से पहले कुछ नहीं कहेंगे। जनता जो निर्णय देगी उसी के आधार पर फैसला लेंगे। एक बात जरूर कहेंगे कि कांग्रेस ने बहुत बढ़िया तरीके से चुनाव लड़ा है और विपक्षी दल के रूप में ए ग्रेड की भूमिका निभाई है। कांग्रेस ने जनता को साथ लेकर संवैधानिक संस्थाओं को भाजपा, संघ और मोदी से बचाया है।

विपक्षी दलों को सत्ता की दौड़ के लिए एकजुट करने की रणनीति जाहिर करने से भी राहुल ने इन्कार किया, लेकिन यह जरूर कहा कि भले ही उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में गठबंधन नहीं हुआ पर हमने बड़े रणनीतिक तरीके से दो साल से वे सभी दरवाजे बंद किए जहां से मोदी बच के निकल सकें।

चुनाव आयोग रहा पक्षपाती : चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर राहुल गांधी ने कहा, यह कहना अच्छा नहीं लग रहा मगर हकीकत यही है कि आयोग को रोल पक्षपाती रहा। पीएम मोदी जो बोलना चाहते हैं वे बोल देते हैं मगर उसी बात के लिए किसी और को टोका जाता है। इतना ही नहीं चुनाव की तारीखें तय करने में भी आयोग का पक्षपात साफ दिखा और नरेंद्र मोदी के प्रचार को ध्यान में रख पूरा शेड्यूल तैयार किया गया। इसके बावजूद हमने जनता के मुद्दे प्रभावी तरीके से उठाए।

मोदी ने सवालों का जवाब नहीं दिया : राहुल ने कहा 'मोदी जी, भाजपा के पास हमारे से बहुत ज्यादा पैसा है, 20 गुना ज्यादा होगा। उनके पास अनलिमिटेड पैसा, अनलिमिटेड मार्केटिंग, अनलिमिटेड टेलीविजन है, हमारे पास सिर्फ सच्चाई, सच्चाई जीतेगी।' चुनाव बेरोजगारी, किसानों की हालत, राफेल भ्रष्टाचार, अर्थव्यवस्था की हालत, नोटबंदी व गब्बर सिंह टैक्स जैसे मुद्दे पर हुआ है। मोदी ने इनसे जुड़े सवालों का जवाब नहीं दिया।

राजीव कुमार पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, मिली सात दिनों की मोहलत

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- सारधा चिटफंड घोटाला मामले में कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका

राजीव कुमार

सारधा चिटफंड घोटाला मामले में वरिष्ठ आइपीएस अधिकारी और कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। कोर्ट ने कुमार की गिरफ्तारी पर लगी रोक हटाते हुए सीबीआइ को कानून के मुताबिक कार्रवाई की छूट दे दी। हालांकि गिरफ्तारी पर सात दिनों तक रोक जारी रखी है ताकि कुमार राहत के लिए निचली अदालत का दरवाजा खटखटा सकें। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीबी माने जाने वाले कुमार के लिए यह गत दो दिनों में दूसरा झटका है। गत 15 मई को चुनाव आयोग ने बंगाल में हिंसा पर सख्त रुख अपनाते हुए उन्हें केंद्रीय गृह मंत्रालय से संबद्ध कर दिया था।

सीबीआइ ने राजीव कुमार पर सारधा घोटाले में बड़े लोगों को बचाने के लिए सबूतों से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाते हुए हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जरूरत बताई थी। जांच एजेंसी ने गत पांच फरवरी को रोक का आदेश हटाने की मांग की थी। इस मामले में मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, जस्टिस दीपक गुप्ता और संजीव खन्ना की पीठ ने सुनवाई की थी। शुक्रवार को जस्टिस संजीव खन्ना ने पीठ की ओर से फैसला सुनाया। कोर्ट ने पांच फरवरी के आदेश का जिक्र करते हुए कहा, तीन फरवरी को सीबीआइ और बंगाल पुलिस के बीच हुए टकराव के बाद कोर्ट ने यह आदेश इस उद्देश्य से दिया था कि सीबीआइ की ओर से कुमार पर लगाए जा रहे आरोपों में पूछताछ सुनिश्चित हो। साथ ही उनकी गिरफ्तारी रोकी जाए, लेकिन यह उपाय काम नहीं आया। कुमार और राज्य सरकार का कहना है कि सारी जानकारी सीबीआइ को दी गई है। जांच एजेंसी उन पर साक्ष्यों से छेड़छाड़ के आरोप लगा रही है, लेकिन इस बारे में कोई केस दर्ज नहीं है। सीबीआइ का कहना था कि जांच सारधा घोटाले में दर्ज एफआइआर में ही हो रही है। कोर्ट ने कहा कि वह इस पर फैसला नहीं दे रहा है कि सीबीआइ को कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ करनी चाहिए या नहीं। कोर्ट गिरफ्तारी पर रोक का आदेश वापस लेता है।

कोर्ट ने कहा, यह आदेश 1988 में एआर अंतुले केस मे दी गई व्यवस्था के अनुकूल है जिसमें कहा गया था कि कानून में तय प्रक्रिया का कड़ाई से पालन होना चाहिए और प्रक्रिया किसी के लिए भी हानिकारक नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने साफ किया है कि वह मामले की मेरिट पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा है। अगर हिरासत में लेकर पूछताछ करने या गिरफ्तारी से राहत की अर्जी दाखिल होती है तो यह आदेश उसे तय करने का आधार नहीं होगा। कोर्ट ने सीबीआइ से अवमानना याचिका बाद में लगाने को कहा है।

उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने पांच फरवरी को राजीव कुमार की गिरफ्तारी पर रोक लगाने के साथ ही उन्हें जांच में सहयोग करने को कहा था। कोर्ट ने कुमार को पूछताछ के लिए शिलांग में सीबीआइ के सामने पेश होने का आदेश दिया था। सीबीआइ ने कहा था कि पूछताछ में कुमार का रवैया अड़ियल रहा। उन्होंने जांच में सहयोग नहीं दिया। कुमार और राज्य सरकार का कहना था कि पूरा सहयोग दिया गया। उन्हें राजनीतिक उद्देश्य से परेशान किया जा रहा है। हिरासत में लेने की मांग उनकी छवि खराब करने के लिए है।

> दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। ये भूल गये हैं कि पुलिस की महती जिम्मेदारी अपराध की जांच करना, साक्ष्य जुटाना और अपराधी पर मुकदमा चलाना है। स्थिति दुखद है, दोनों अपने-अपने रुख पर अड़े हैं, कोई भी ऐसा प्रशासनिक तंत्र नहीं है जो देश की इन दो पुलिस फोर्स का झगड़ा निपटा सके। इसमें कस्बों और गांवों के वे लाखों छोटे निवेशक प्रताड़ित हो रहे हैं जिनकी बचत का पैसा लूट लिया गया है।
>
> -सुप्रीम कोर्ट

महेश शर्मा को ब्लैकमेल करने की कोशिश में समाजसेविका गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, नोएडा

- मुख्य आरोपित आलोक कुमार और दो युवतियों की पहले ही हो चुकी है गिरफ्तारी

ऊषा ठाकुर

लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचार से संबंधित बातचीत का स्टिंग कर केंद्रीय मंत्री डॉ. महेश शर्मा को ब्लैकमेल करने की कोशिश के मामले में पुलिस ने शुक्रवार को समाजसेविका ऊषा ठाकुर को सेक्टर 31 स्थित घर से गिरफ्तार कर लिया। इस मामले का मुख्य आरोपित बंद हो चुके प्रतिनिधि चैनल का मालिक आलोक कुमार ऊषा के साथ ही पहली बार शर्मा से मिला था और उसी दौरान स्टिंग किया था। 22 मई को जब सेक्टर 27 स्थित कैलाश अस्पताल से इस मामले में नीशू नामक युवती की गिरफ्तारी हुई थी, उस दौरान भी ऊषा वहां थीं। पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ करने के बाद छोड़ दिया था। कुछ दिन बाद पुलिस मुख्य आरोपित आलोक कुमार व निशा को कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद नोएडा लाकर रिमांड पर लेकर पूछताछ में ऊषा की भूमिका सामने आई। इसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी वैभव कृष्ण ने कहा कि इस मामले में एक पूर्व पुलिस अधिकारी भी संदेह के घेरे में है। जांच की जा रही है।

चैनल का मालिक कर रहा था ब्लैकमेल करने की कोशिश : प्रतिनिधि चैनल के मालिक आलोक कुमार ने चुनाव प्रचार सामग्री से संबंधित बातचीत के जरिये स्टिंग कर डॉ. महेश शर्मा को ब्लैकमेल करने की साजिश रची। इस काम के लिए उसने ऊषा ठाकुर की मदद ली। 22 अप्रैल को आलोक के निर्देश पर उसकी सहयोगी नीशू कैलाश अस्पताल पहुंची थी। महेश शर्मा ने इस बात की जानकारी एसएसपी को दी जिन्होंने मौके पर पहुंच कर नीशू को गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले के एक आरोपित खालिद की पुलिस तलाश कर रही है।

> स्टिंग ऑपरेशन मामले में साजिशकर्ता के रूप में ऊषा ठाकुर की गिरफ्तारी की गई है। उन्होंने टेक्सटाइल कंपनी के सीईओ के रूप में आलोक का परिचय केंद्रीय मंत्री से कराया था, जबकि उन्हें पता था कि यह कोई सीईओ नहीं है।
>
> -वैभव कृष्ण, एसएसपी

> मैं ऊषा ठाकुर को बड़ी बहन मानता हूं, उनका सम्मान करता हूं। मैंने उनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं की थी। पुलिस जांच में क्या बात सामने आई है, अथवा आलोक कुमार और उनके बीच क्या बात हुई थी, इसकी जानकारी मुझे नही है।
>
> -डॉ. महेश शर्मा, केंद्रीय मंत्री

कैडर आवंटन मामले में आइएएस, आइपीएस अफसरों को राहत

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्र सरकार के कैडर आवंटन प्रक्रिया को चुनौती देने वाले 20 प्रशिक्षु आइएएस-आइपीएस अफसरों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने कहा है कि इस साल इन अफसरों को पसंद वाले राज्यों के कैडर में एक पद बढ़ाकर समायोजित किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश केंद्र सरकार की याचिका पर दिया। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी, जिसने 2018 बैच के सभी आइपीएस और आइएएस अधिकारियों के पूरे कैडर आवंटन को ही रद कर दिया था।

जस्टिस इंदिरा बनर्जी और संजीव खन्ना की अवकाशकालीन पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की उनकी 'अनुकरणीय ईमानदारी' के लिए सराहना की। मेहता ने सुझाया था कि इस मुद्दे पर हाई कोर्ट में अपील करने वाले 18 याचिकाकर्ताओं और केंद्रीय प्रशासनिक पंचाट (सीएटी) में अपील करने वाले दो अन्य अधिकारियों को '99' पर विचार किए बिना उनकी पसंद के हिसाब से समायोजित कर लिया जाएगा।

वर्ष 2018 के लिए केंद्र के कैडर आवंटन नीति के मुताबिक अभ्यर्थियों को ऑनलाइन फॉर्म में क्षेत्र और कैडर के लिए कोई पसंद नहीं होने पर '99' भरना था। पीठ ने कहा कि मेहता ने सुझाया, 'इस साल संबंधित राज्य के कैडर में एक पद बढ़ाकर ऐसा किया जाएगा, जिसे आने वाले साल में समायोजित कर लिया जाएगा। प्रतिवादियों ने यह सुझाव स्वीकार कर लिया।' पीठ ने यह भी साफ कर दिया कि यह मामला अपवाद के रूप में है। इसे दूसरे अभ्यर्थियों के लिए उदाहरण नहीं बनाया जाएगा।

बढ़ेंगे मौके

अमेरिकी राष्ट्रपति नई नीति का किया एलान, उच्च कुशल पेशेवरों का कोटा 57 फीसद करने का प्रस्ताव, ग्रीन कार्ड की जगह 'बिल्ड अमेरिका' वीजा देने का भी प्रस्ताव

ट्रंप की नई आव्रजन नीति से भारतीयों को फायदा

वाशिंगटन, प्रेट्र : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मेरिट आधारित नई आव्रजन नीति की घोषणा की है। इसमें मौजूदा ग्रीन कार्ड को बदलकर 'बिल्ड अमेरिका' वीजा करने और उच्च कुशल पेशेवरों का कोटा 12 से बढ़ाकर 57 फीसद करने का प्रस्ताव रखा गया है। इस कदम से अमेरिका में नौकरी के इच्छुक भारतीय पेशेवरों के लिए अवसर बढ़ेंगे। नई नीति में हालांकि हर साल जारी होने वाले ग्रीन कार्ड की संख्या में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

व्हाइट हाउस में गुरुवार को नई आव्रजन नीति का एलान करते हुए ट्रंप ने कहा, 'हमारा यह प्रस्ताव अमेरिका में रहने वालों के प्रति हमारे पवित्र कर्तव्य को पूरा करने के साथ ही यह सुनिश्चित कर रहा है कि अमेरिका भविष्य में आने वाले लोगों का भी स्वागत करना जारी रखेगा।' मौजूदा प्रणाली प्रतिभावान लोगों को आकर्षित करने में विफल हो गई है। इसलिए वह मेरिट आधारित नई प्रणाली की पेशकश कर रहे हैं।

अमेरिका आने वालों को देनी होगी परीक्षा : ट्रंप ने कहा, 'भविष्य में आने वालों को अमेरिका में दाखिले से पहले अंग्रेजी व नागरिकता से जुड़े टेस्ट पास करना होगा। इसका मकसद देश की अखंडता और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना है।'

वाशिंगटन स्थित व्हाइट हाउस में अमेरिका की नई आव्रजन नीति का एलान करते डोनाल्ड ट्रंप। एएफपी

अमेरिकियों को प्राथमिकता : राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, नई नीति में अमेरिकी पेशेवरों को प्राथमिकता दिया जाना सुनिश्चित किया गया है। यह नीति अमेरिकी नागरिकों के फायदे की रक्षा करेगी। जबकि मौजूदा आव्रजन नियमों में विदेशी कर्मचारियों को अमेरिकियों के विकल्प की स्वीकृति मिली हुई है। अमेरिका हर साल करीब 11 लाख ग्रीन कार्ड जारी करता है। इस कार्ड के मिलने से अमेरिका में स्थायी रूप से बसने और काम करने की अनुमति मिलती है। मौजूदा व्यवस्था में ग्रीन कार्ड जारी करने में पारिवारिक संबंधों को तरजीह दी जाती है। इसलिए उच्च कुशल पेशेवरों के हिस्से में कम ग्रीन कार्ड आ पाते हैं। अभी 66 फीसद ग्रीन कार्ड उन लोगों को दिए जाते हैं जिनके परिजन अमेरिकी नागरिक हैं, जबकि महज 12 फीसद योग्यता आधारित हैं। ट्रंप के नए कदम से उन लाखों भारतीय पेशेवरों को फायदा होने की संभावना है जो लंबे समय से ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे हैं। अमेरिका में करीब छह लाख भारतीय ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे हैं। ट्रंप की इस आव्रजन नीति को संसद से मंजूरी दिलाना आसान नहीं है क्योंकि ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी और विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद इस मसले पर बंटे हुए हैं। संसद के ऊपरी सदन सीनेट में जहां रिपब्लिकन का नियंत्रण है तो वहीं निचले सदन प्रतिनिधि सभा में डेमोक्रेट्स बहुमत में हैं। अमेरिका में भारतीय मूल की सांसद कमला हैरिस समेत डेमोक्रेट्स सांसदों ने नई आव्रजन नीति की आलोचना की है।

भारतीय पेशेवर को एच-1बी वीजा न देने पर अमेरिकी सरकार पर मुकदमा पेज>>13

फसलों के अवशेष के धुएं ने दिल्ली में दी दस्तक

नई दिल्ली : ठंड के बाद फसलों के अवशेष के जहरीले धुएं ने फिर से दिल्ली-एनसीआर में दस्तक दे दी है। इसके चलते शनिवार से प्रदूषण के स्तर में और बढ़ोतरी की आशंका जताई जा रही है। वायु प्रदूषण पर नजर रखने वाली केंद्र सरकार की एजेंसी सफर इंडिया ने इसे लेकर अलर्ट जारी किया है। साथ ही अगले कुछ दिनों तक प्रदूषण के स्तर में वृद्धि की संभावना भी जताई है। (पेज-3)

हनी ट्रैप में फंसा जवान, पाक भेजी गोपनीय जानकारी

इंदौर : मध्य प्रदेश पुलिस के आतंक रोधी दस्ते (एटीएस) ने सेना के जवान अविनाश कुमार (25) को गिरफ्तार किया है, वह आर्मी के गोपनीय रिकॉर्ड और अहम जानकारियां बेच रहा था। सूत्रों ने बताया कि जवान करीब डेढ़ वर्ष पूर्व हनी ट्रैप में फंसा था। केंद्रीय खुफिया एजेंसियां उस पर छह महीने से नजर रखे थी। एटीएस ने उसका मोबाइल जब्त कर वाट्सएप और इंस्टाग्राम अकाउंट की जांच भी शुरू कर दी है। (पेज-10)

खूंटी सामूहिक दुष्कर्म कांड में फादर अल्फोंस समेत छह को उम्रकैद

जागरण संवाददाता, खूंटी

झारखंड के खूंटी जिले की अदालत ने कोचांग गांव स्थित मिशनरी स्कूल में 19 जून 2018 को नुक्कड़ नाटक करने पहुंची पांच महिलाओं से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में फादर अल्फोंस आइंद समेत छह लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। सभी दोषियों पर डेढ़-डेढ़ लाख का जुर्माना भी लगाया गया है, जिसे पीड़ित महिलाओं को दिया जाएगा। इस मामले में कुल आठ अभियुक्तों में से छह के खिलाफ सजा का ऐलान किया है। एक अभियुक्त नाबालिग है, उसका मामला जुवेनाइल बोर्ड में चलेगा। एक अभियुक्त नोबेल सांडी फरार है। ध्यान रहे इस मामले में कोर्ट ने 7 मई को छह लोगों को दोषी करार दिया था, लेकिन फैसला आज सुनाया है।

खूंटी जिले के एडीजे राजेश कुमार ने 225 पेज के फैसले में फादर अल्फोंस को साजिश रचने, महिलाओं के अपहरण, पुरुषों के साथ मारपीट का दोषी करार दिया है। वहीं जॉन जुनास तिड़ू, बलराम समद को अपहरण और मारपीट तथा जुनास मुंडा, बाजी समद उर्फ टकला एवं अजूब सांडी पूर्ति को दुष्कर्म का दोषी करार दिया है। राजेश कुमार ने महाभारत का जिक्र करते हुए कहा, दंड ही ऐसी व्यवस्था है, जिससे समाज को नियंत्रित किया जा सकता है। इसी के कारण अंधेरे में भी जुर्म करने वाला व्यक्ति भयभीत होता है कि अगर पकड़े गए तो दंडित किए जाएंगे।

दोषी फादर अल्फोंस आइंद (सबसे पीछे चेक ब्लू शर्ट में) (फाइल फोटो)

क्या है खूंटी दुष्कर्म कांड की कहानी पेज>>10